

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, खल 6-7, जाबा दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार बनाम नरेश चन्द आदि

धारा अन्तर्गत 177 आरटीए

मुकदमा नम्बर 68/2019

निर्णय दिनांक :- 17.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी पैराकार राज व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 37/87 के मुर्ब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 की कुल 1.998 हैक्टेयर कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 17.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

[Signature]

{श्योराम (आर.ए.एस.)} (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	06	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	08	00

[Signature]

{श्योराम (आर.ए.एस.)} (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 17.03.2025

क्रमांक: रीडर/2025/171

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

[Signature]

{श्योराम (आर.ए.एस.)} (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

